अभियोजन साक्षी क्रमांक 04– अमोला बाई

साक्ष्य प्रारंभ समयः12.30PM

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री राजनारायण त्रिपाठी विशेष लोक अभियोजक ।

समय 12.30pm

01. मै आरोपी जनीराम, हरिकिशन, देवनारायण, सचिन, नरेश, अजय कुमार, योगेश, टेकराम, गोपूराम, हिरादास और जितेन्द्र कुमार को नही जानता हूॅ। मै आहत रामचंद को जानती हू, रामचंद मेरा पति है, मै नीलकमल को भी जानती हू वह मेरा बेटा है।

02. घटना आज से लगभग एक वर्ष पूर्व रात्री 10.00 बजे की है उस समय मै अपने घर में थी तभी मेरे देवर रामकुमार के घर में किसी चीज की तोड़ने फोड़ने की आवाज तथा मारपीट करने की आवाज आ रही थी तब मेरे पति रामचंद और मेरा लड़का नीलकमल वहां गया था तथा कुछ देर बाद मै भी अपने देवर राम कुमार के घर गई थी। घर जाने पर देखी कि वहां जो आये थे वह मेरे पति को डण्डे से मार रहे थे। जब मै वहां पहुंची तो मुझे भी उसी डण्डे से मारपीट

कर चोट पहुंचाये थे। मेरे पति के सिर में चोट आई थी। जो लोग वहां पर तोड़ –फोड़ कर रहे थे उन लोगो के द्वारा घर में खड़े चार पहिया वाहन , स्कार्पियो, मोटरसायकल, खिड़की, कुर्सी–टेबल को लाठी डण्डे से मारकर तोड़ फोड़ किये थे। पुलिस वाले मुझे मुलाहिजा कराये जाने के लिए जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार लेकर आये थे जहां मेरा मुलाहिजा हुआ था। पुलिस वाले मुझसे पूछताछ नही किया है और मेरा बयान नही लिये है।

नोटः– इसी स्तर पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री राजनारायण त्रिपाठी ने निवेदन किया कि यह साक्षी अभियोजन पक्ष का पूर्ण रूप से समर्थन नही कर रहा है, अतः सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जावे। प्रकरण का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात निवेदन स्वीकृत।

सूचक प्रश्न द्वारा श्री राजनारायण त्रिपाठी विशेष लोकअभियोजक।

03. यह कहना गलत है कि मै जब रामकुमार के घर से गाली –गलौच तोड़फोड़ की आवाज सुनी तो अपने लड़के नीलकमल को उठाया और बताया था कि उसके चाचा लोगो के घर में कोई गाली–गलौच और मारपीट कर रहे थे तब मै और मेरे पति उठे और अपने बेटे नीलकमल और उत्तम के साथ रामकुमार के घर गये । यह कहना गलत है कि मै जब अपने पति और बेटो के साथ रामकुमार के घर गई तो देखी कि आरोपी योगेश , हरिकिशन, जनी, जीतू, अजय, नरेश, गोपू, हिरादास एवं उनके पन्द्रह बीस साथी तलवार डण्डा , लाठी से गंदी–गंदी गाली देकर रामकुमार के घर अंदर घुसकर तोड़–फोड़ कर रहे थे।

04. यह कहना गलत है कि हमलोग ने बचाने की कोशिश किये तो हमलोगो के उपर भी हमला कर मेरे पति को हत्या करने की नियत से तलवार , डण्डा से प्राण घातक हमला किये थे। यह कहना गलत है कि यदि मेरे पति रामचंद गाड़ी के बगल में नही छुपते तो उसकी हत्या कर देते। यह कहना गलत है कि आरोपी योगेश सेन और उसके साथ द्वारा तलवार और चाकू से मेरे पति का प्राण घातक हमला किये जिससे उसके सिर में गंभीर चोटे लगी थी। यह कहना गलत है कि मेरे पति को आई चोट से व इलाज के दौरान आईसीयू में भर्ती था । यह कहना गलत है कि मै और मेरे रिश्तेदार, मकान के घर के आखरी कमरा में नही छुपते तो घर के सभी सदस्य की हत्या कर देते। यह कहना गलत है कि मै अपने पति को छुड़वायी थी। यह कहना सही है कि घटना में मुझे भी मारे थे जिससे मेरे बांये जांघ, हाथ में चोट लगी थी।

05. यह कहना गलत है कि आरोपी योगेश सेन हाथ मे तलवार रखा था और उसके साथी भी लाठी, डण्डा, रॉड रखे हुए थे और उसी से तोड़ फोड़ किये है। यह कहना गलत है कि मै आरोपीगण को जानती पहचानती हूॅ। आरोपीगण मेरे पति , मेरे देवर मेरे साथ तथा मेरे पुत्र नीलकमल और उत्तम साहू के साथ मारपीट किये थे। यह कहना गलत है कि मै आरोपीगण को बचाने के लिए आज न्यायालय में सही बात नही बता रही हूॅ।

06. यह कहना सही है कि मैने पुलिस को बयान नही दिया था मेरे पुलिस बयान प्रदर्श डी 08 के अ से अ भाग में "मेरे देवर रामकुमार .....तोड़–फोड़ किये है" कैसे

लिखा है मै कारण नही बता सकती हूॅ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अनादिशंकर मिश्रा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त जितेन्द्र की ओर से</u>

07. कुछ नही ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री कैलाश बांधे अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त सचिन चेलक की ओर से</u>

08. कुछ नही ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री मती रूबी वर्मा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण नेरश , जनीराम, अजय, किशन, हीरादास देवनारायण , टेकराम, योगोश, हरिकिशन, गोपराम की ओर से</u>

09. यह कहना सही है कि किस व्यक्ति ने मुझे व मेरे पति को तथा मेरे बच्चो को डण्डे से मारपीट किया था मै उसे नही देखी थी और न ही पहचानती हूॅ।

साक्ष्य समाप्त समयः01.05PM

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया।
सही होना स्वीकार किया।

सही
(श्रीमती संजया रात्रे)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
बलौदाबाजार(छ 0 ग 0)

मेरे निर्देश पर टंकित

सही
(श्रीमती संजया रात्रे
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
बलौदाबाजार (छ 0 ग 0)